न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(शिवचरण मीना,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः- 53/2023

प्रविष्टि दिनांकः- 20.03.2023

श्रीमति सोहनी पत्नी हुक्मा जाति जाट निवासी दाबडदुम्बा, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक बनाम ..... अपीलाण्ट

नायब तहसीलदार टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट, विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.01.2023, नायब तहसीलदार टोडारायसिंह उनवानी सरकार बनाम श्रीमति सोहनी, प्रकरण सं. 1939/2022

उपस्थितः (1)श्री शंकर लाल चौधरी, अभिभाषक अपीलाण्ट

(2) श्री मजहर आलम एडवोकेट, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 12.07.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2023 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम दाबडदूम्बा पर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण को दोषी मानते हुए अपीलांट को बेदखल किये जाने, वार्षिक लगान 2.00 रूपये की 50 गुणा पेनल्टी 100/– रूपये शास्ति कायम करने एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांट पर नहीं हुई, तामिल कुनिन्दा द्वारा विधि अनुसार अपीलांट पर तामिल नहीं करायी गई थी किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की गलत रूप से उपस्थिति दर्ज की गई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

है, जबकि न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के उपस्थिति बाबत कोई हस्ताक्षर एवं अंगूठा नहीं हो रखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया। अपीलांट के विरूद्ध हलका पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक गलत रिपोर्ट की गई है। अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हलका पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है जिससे अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। उक्त प्रकरण में अपीलांट को पटवारी से जिरह करने का भी कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलांट का मौके पर किसी भी चरागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण कर फसल काश्त नहीं की है और ना ही अपीलांट का किसी चरागाह भूमि से कोई संबंध है। अपीलांट महिला है, जिसको अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय की कोई जानकारी नहीं हो सकी, सर्वप्रथम जानकारी विगत दिनों हुई, जिस पर अपीलांट के द्वारा निर्णय की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया, निर्णय की नकल दिनांक 24.02.2023 को प्राप्त होते ही अपीलांट जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद यह अपील पेश कर रखी है, अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है, जो देरी हुई है, वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी से क्षमा करने हेतु अपीलांट पृथक से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर रही है। अपीलांट ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2023 अपास्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था तथा अपीलान्ट को मिसल संख्या 644 निर्णय दिनांक 28.02.2022 से बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी सं. 2079 से स्पष्ट है कि अपीलांट ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया था तथा अपीलांट चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम दाबडदुम्बा तहसील टोउारायसिंह पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय पेरोकार ने भी अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2023 से अपीलांट को दी गई 3 माह के सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तथा बेदखली व शास्ति का शेष निर्णय नायब तहसीलदार टोडारायसिंह यथावत रखा जाता है। नायब तहसीलदार टोडारायसिंह यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.जिला कलेक्टर,टोक